

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
किसान भवन, 26, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्रमांक/ बोर्ड/ भा.भु.यो./ 2025/ 1571

भोपाल, दिनांक 9/10/2025

प्रति

संयुक्त संचालक
मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय - _____ (समस्त)

विषय - सोयाबीन खरीफ 2025 - भावांतर भुगतान योजना - मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में निर्देश।

सोयाबीन खरीफ 2025 - भावांतर भुगतान योजना के क्रियान्वयन के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि -

1. आपके अधीनस्थ मंडी समितियों में संभावित आवक एवं मानव संसाधन की उपलब्धता (विशेषकर उपमंडी प्रांगणों के संदर्भ में) का आकलन दिनांक 13.10.2025 तक मानव संसाधन की व्यवस्था अनिवार्यतः की जाए।
3. उपमंडी प्रांगणों में कर्मचारियों की आवश्यकता के संबंध में स्थानीय व्यवस्था अंतर्गत योजना अवधि में कर्मचारियों को कार्य करने हेतु आदेशित करने की कार्यवाही के लिए आंचलिक अधिकारियों को अधिकृत किया जा रहा है। अतः आवश्यकता अनुसार तत्संबंधी कार्यवाही की जाए।
3. आवश्यकता होने पर Outsourced मानव संसाधन भी संबंधित empanelled सर्विस प्रोवाइडर से प्राप्त किए जा सकते हैं। इस संबंध में मुख्यालय से वांछित अनुमति प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही की जाए।

उपरोक्त निर्देशों के पालन में कृत कार्यवाही की रिपोर्ट दिनांक 14.10.2025 तक प्रेषित करना सुनिश्चित करें।


(कुमार पुरुषोत्तम)
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/ बोर्ड/ भा.भु.यो./ 2025/ 1572

भोपाल, दिनांक 9/10/2025

प्रतिलिपि :- कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग।
2. स्टाफ ऑफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन।
3. निज सहायक, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग।
4. कलेक्टर, जिला - _____ (समस्त)।
5. अपर संचालक / संयुक्त संचालक / उप संचालक / सहायक संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
6. भारसाधक अधिकारी / सचिव, कृषि उपज मंडी समिति _____ जिला - _____ (समस्त)।
7. प्रोग्रामर, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल। निर्देश वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. गार्ड फाइल।


 आयुक्त सह प्रबंध संचालक
 मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
 भोपाल